GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. 2014/TG-I/23/PRS Terminal New Delhi dated 17.07.2017

Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 55 OF 2017)

Sub: Clarification regarding Yatri Ticket Suvidha Kendra (YTSK)

The scheme of YTSK was introduced vide Commercial Circular no. 33 of 2014 and provisions of the scheme have been modified vide CC nos. 35, 37, 39, 40 & 45 of 2014 and 21&59 of 2015.

2. Representations have been received from YTSK associations to make certain modifications in the provision of the scheme. The suggestions received were examined in consultation with Finance, Accounts, Legal and C&IS Directorate of Ministry of Railways and it has been decided as under:-

S. No.	Issue raised	Decision taken
1.	YTSK should be allowed to start booking at 0800 a.m. i.e. without the present restriction of 30 minutes or they may be allowed to book tickets for the trains which have been already opened for booking.	For opening day reservation in case of general as well as Tatkal, the restriction of not allowing booking during the first 30 minutes should continue, however, for the trains which have already become open for booking on the previous day should be allowed to be booked. This should be applicable to both general as well as Tatkal reservation.
2.	Facility of modification of ticket & issuing of circular tour tickets.	YTSKs may be allowed the facility of advancement/ postponement of journey, however, the facility of issuing circular journey ticket may not be extended to YTSKs.
3.	Separation of PRS & UTS counters: There is a facility of selling of the UTS (General ticket) on Yatri Ticket Suvidha Kendra terminals, however due to the connectivity of the same with PRS counters and there is long queue on the PRS counters, hence the fault often took place, thus the counter for the UTS should be separated.	In case YTSKs desire to have separate PRS and UTS terminal, the same may be provided to them. However, the entire cost (for installation as well as recurring cost of its maintenance) shall be borne by the licencee.
4.	Staff ID Card: During the making of the ticket on Yatri Ticket Suvidha Kendra sometimes due to loss of the connectivity, the staff of the YTSK has to go for making linker/modem on and off, but in the absence of the ID Card, the reservation supervisor or RPF staff prevents them from doing the same.	Any fault in S&T equipment has to be set right by Railway staff. Zonal Railways may, however, ensure that such complaints should be attended on priority so that issuing of tickets is not hampered.

-2|-

5.	Facility of reservation through credit card: The corporate clients, government employees and LTC passengers also wanted to make payment through credit card and debit card against the railway ticket, hence permission should be granted for installation of the machine for deducting the payment to be made through credit card and debit card on all YTSK.	Instructions have already been issued vide Commercial Circular no. 78 of 2016 wherein Railways have been advised to instruct YTSKs to get installed POS machines and accept payments through all banks debit/credit cards for issuing both reserved and unreserved tickets. They have also been asked to accept payment through other modes like UPI, USSD, e-wallet, Aadhaar enabled payment systems. However, it is clarified that as per Controller General of Accounts/Ministry of Finance's instructions integration of private e-wallets with the accredited bank for issue of PRS/UTS tickets is not permissible. As such, payment through private e-wallets (e.g. PayTM, Freecharge etc.) shall not be allowed.
6.	Advertisement: YTSK members from the last one year are constantly working, however, the Yatri Ticket Suvidha Kendra carrying on the function on the basis of the co-participation shall be given the liberty for advertisement through newspaper, TV channels and radio channels and licence holder of the YTSK may represent their name and address on the websites.	YTSKs are there to facilitate passengers in getting reserved as well as unreserved tickets. As such, Zonal Railways should give addresses and phone numbers of the YTSKs working on their Railways on Zonal Railway's website.
7.	Granting permission to issue Premium Tatkal and Suvidha Train tickets through YTSK terminals: Currently premium Tatkal tickets can be issued only through IRCTC and Suvidha trains tickets can be issued 48 hours prior to the departure of the train at YTSK centers. If this facility is provided to the YTSKs, it will be an extended facility to the common rail passenger but also over and above the railways will earn through 25% revenue sharing scheme from YTSKs.	On the lines of facility of booking of Tatkal tickets, YTSKs may be allowed to book premium tatkal tickets also with the restriction of not booking these tickets during the first 30 minutes of opening of reservation.
8.	Issuing of onward journey ticket: In commercial circular no. 39 of 2014 in point no. 9 xvi says no	YTSKs will not be allowed to issue any zero value ticket, however, they can issue ticket up to a certain point with reservation up to a point shorter than the

-3/-

	reservation will be permissible on pre-bought tickets but they cannot deny if any passenger wants to do an onward booking and also the service was started for three days as per commercial circular no. 21 of 2015 and then was discontinued.	destination e.g. they can be allowed to book ticket ex. New Delhi-Chennai with reservation up to Nagpur. However, they will not be allowed to book ticket ex. Nagpur – Chennai on the authority of this pre-bought ticket.
9.	Verification of employees of YTSKL: In commercial circular no. 39 of 2014, point no. 9.xix says the YTSKL have to keep the staff after police verification but in commercial circular no. 35 of 2014, it is clearly mentioned that no verification is required. It is further stated that the whole liability of their staff belongs to them and not Indian Railways then why such harassment is being done on YTSKL.	The condition of police verification of employees of YTSK may be withdrawn. Instead YTSK should do Aadhar based verification of the employees before appointing them.
10.	Competent authority to waive the penalty in case YTSK is proved innocent.	Zonal Railways may nominate an administrative authority to examine the appeal of YTSKs against any penalty imposed on him/her. Such appellate authority should be higher than the authority who has given them licence or who has imposed penalty.
11.	Permission to issue handicapped ticket in accordance with CC no. 18 of 2015.	YTSKs should be allowed the facility to book tickets for such handicapped persons whose details are available in the system. They shall, however, not be allowed to book tickets on those physically handicapped concession certificates whose details are not available in the system.

3. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

(Shelly Srivastava)
Director Traffic Commercial (G)
Railway Board

No. 2014/TG-I/23/PRS Terminal Date: 17.07.2017

Copy forwarded to:

FA & CAO, All Zonal Railways.
Director (Audit), All Zonal Railways.

17/7/17

for Financial Commissioner, Railways

-4-

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T), EDFC, DVT, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. GGM/IT/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. Managing Director, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.
14. MD, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, Plot No.6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.

****

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

सं. 2014/टीजी-I/23/पीआरएस टर्मिनल — नई दिल्ली दिनांक 17.07.2017

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें।

(2017 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 55)

विषयः यात्री टिकट सुविधा केंद्र (वाईटीएसके) के संबंध में स्पष्टीकरण

वाईटीएसके की स्कीम 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33 के तहत लागू की गई थी और इस स्कीम के प्रावधानों में 2014 के सीसी सं. 35, 37, 39, 40 और 45 और 2015 के 21 एवं 59 के तहत संशोधन किया गया है।

2. इस स्कीम के प्रावधान में कुछ संशोधन करने के लिए वाईटीएसके संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं। रेल मंत्रालय के वित्त, लेखा, विधि, और सी एवं आईएस निदेशालय के परामर्श से प्राप्त हुये सुझावों की जांच की गई और निम्नानुसार विनिश्चय किया गया है:-

क्र.सं.	उठाया गया मुद्दा	लिया गया निर्णय
1.	वाईटीएसके को प्रातः 0800 बजे अर्थात् वर्तमान में 30 मिनट के प्रतिबंध के बिना बुकिंग आरंभ करने की अनुमति दी जाए अथवा उन्हें उन गाड़ियों की टिकटें बुक करने की अनुमति दी जाए जिसकी बुकिंग पहले ही आरंभ हो चुकी हो।	सामान्य एवं तत्काल टिकटों के लिए पहले दिन आरक्षण करने के लिए, पहले 30 मिनट में बुकिंग न करने के प्रतिबंध को जारी रखा जाए, बहरहाल, वे गाड़ियाँ जिनकी बुकिंग एक दिन पहले से ही शुरू हो गई हो उनकी बुकिंग करने की अनुमति दी जाए। यह दोनों, सामान्य एवं तत्काल आरक्षण पर लागू होना चाहिए।
2.	टिकट में संशोधन एवं सर्क्युलर टूर टिकटों को जारी करने की सुविधा।	वाईटीएसके को यात्रा पहले करने/स्थगित करने की सुविधा प्रदान की जाए, बहरहाल, सर्क्युलर यात्रा टिकट जारी करने की सुविधा वाईटीएसके को न दी जाए।
3.	पीआरएस एवं यूटीएस काउंटरों का अलग-अलग होना: यात्री टिकट सुविधा केंद्र टर्मिनल पर यूटीएस (सामान्य टिकट) बेचने की सुविधा है, बहरहाल यूटीएस की पीआरएस काउंटरों से कनेक्टिविटी के कारण और पीआरएस काउंटरों पर लंबी कतार होने के कारण अकसर गलतियाँ हो जाती है, अतः यूटीएस के लिए अलग काउंटर होना चाहिए।	यदि वाईटीएसके, पीआरएस और यूटीएस टर्मिनल के लिए अलग से टर्मिनल चाहते है, तो उनको यह सुविधा दी जा सकती है। बहरहाल, समग्र लागत (प्रतिष्ठापन के साथ-साथ उसके रख-रखाव की आवर्ती लागत) लाइसेंसेधारी द्वारा वहन की जाएगी।
4.	कर्मचारी पहचान पत्र: यात्री टिकट सुविधा केंद्र पर टिकट बनाते समय कभी-कभी कनेक्टिविटी न होने के कारण, वाईटीएसके के कर्मचारियों को लिंकर/मॉडेम ऑन और ऑफ करने के लिए जाना पड़ता है, परंतु पहचान पत्र न होने के कारण, आरक्षण पर्यवेक्षक या आरपीएफ कर्मचारी उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं।	एस एवं टी उपकरण में कोई खराबी होने पर इसे रेलवे कर्मचारी द्वारा ठीक किया जाना है। क्षेत्रीय रेलें, बहरहाल, यह सुनिश्चित करें की ऐसी शिकायतों को प्राथमिकता दी जाए ताकि टिकटें जारी करने में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

5.	क्रेडिट कार्ड द्वारा आरक्षण की सुविधा: कॉर्पोरेट क्लाईंट, सरकारी कर्मचारी, और एलटीसी यात्री भी रेलवे टिकट के लिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड द्वारा भुगतान करना चाहते थे, अतः सभी वाईटीएसके पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के द्वारा भुगतान करने के लिए मशीन लगाने की अनुमति दी जाए।	2016 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 78 के तहत अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं जिसमें रेलों को सुझाव दिया गया है कि वे वाईटीएसके को अनुदेश दे कि वे पीओएस मशीने लगवाएँ और दोनों, आरक्षित एवं अनारक्षित टिकटें जारी करने के लिए सभी बैंकों के डेबिट/क्रेडिट कार्डों द्वारा भुगतान स्वीकार करें। उन्हें भुगतान के अन्य तरीके जैसे यूपीआई, यूएसएसडी, ई-वॉलेट, 'आधार' आधारित भुगतान प्रणाली से भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कहा गया है। बहरहाल, यह स्पष्ट किया जाता है कि लेखा महानियंत्रक/वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार पीआरएस/यूटीएस टिकटें जारी करने के लिए निजी ई-वॉलेट का मान्यता प्राप्त बैंकों के साथ एकीकरण करने की अनुमति नहीं है। अतः, निजी ई-वॉलेट (जैसे पेटीएम, फ्रीचार्ज आदि) के द्वारा भुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6.	विज्ञापन: पिछले एक वर्ष से वाईटीएसके के सदस्य लगातार कार्य कर रहे हैं, बहरहाल, सहभागिता के आधार पर कार्य कर रहे यात्री टिकट सुविधा केन्द्रों को समाचार पत्र, टीवी चैनलों और रेडियो चैनलों द्वारा विज्ञापन देने की स्वतंत्रता होगी और वाईटीएसके के लाइसेंसधारक वेबसाइटों पर अपना नाम और पता दे सकते हैं।	वाईटीएसके, यात्रियों को आरक्षित और अनारक्षित टिकटों की सुविधा प्रदान करने के लिए हैं। अतः, क्षेत्रीय रेलों को क्षेत्रीय रेलों की वेबसाइट पर अपनी रेलों में कार्य कर रहे वाईटीएसके का पता और फोन नंबर देना चाहिए।
7.	वाईटीएसके टर्मिनलों द्वारा प्रीमियम तत्काल और सुविधा गाड़ी टिकटें जारी करने की अनुमति प्रदान करना: वर्तमान में, प्रीमियम तत्काल टिकटें केवल आईआरसीटीसी द्वारा ही जारी की जा सकती हैं और सुविधा गाड़ी टिकटें, गाड़ी के प्रस्थान से 48 घंटे पहले ही वाईटीएसके केन्द्रों द्वारा जारी की जा सकती हैं। यदि यह सुविधा वाईटीएसके को प्रदान की जाती है, तो आम रेल यात्रियों को यह सुविधा दी जाएगी परंतु इसके अतिरिक्त रेलवे, वाईटीएसके से 25% राजस्व साझेदारी स्कीम द्वारा भी अर्जन करेगी।	तत्काल टिकटें बुक करने की सुविधा की तर्ज पर, वाईटीएसके को प्रीमियम तत्काल टिकटें भी बुक करने की अनुमति दी जाती है, जिस पर आरक्षण आरंभ होने के पहले 30 मिनट में इन टिकटों को बुक न करने का प्रतिबंध होगा।
8.	आगे की यात्रा टिकट जारी करना: 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39 की मद सं. 9 xvi में उल्लेख है कि पहले खरीदी गयी टिकटों पर आरक्षण नहीं किया जाएगा परंतु यदि कोई यात्री आगे की यात्रा टिकट बुक करना चाहता है तो वे मना नहीं कर सकते और 2015 के वाणिज्यिक	वाईटीएसके को शून्य मूल्य का कोई टिकट जारी करने की अनुमति नहीं होगी, बहरहाल, वे आरक्षण करते हुये किसी खास स्टेशन तक अर्थात् गंतव्य स्टेशन से पहले के स्टेशन तक टिकट जारी कर सकते हैं, उदाहरण उन्हें नागपुर तक आरक्षण करते हुये नई दिल्ली से चेन्नई तक का टिकट

	परिपत्र सं. 21 के अनुसार यह सेवा तीन दिन के लिए शुरू की गयी थी और फिर इसे बंद कर दिया गया।	बुक करने की अनुमति दी जा सकती है। बहरहाल, उन्हें पहले से खरीदे गए इस टिकट के प्राधिकार पर नागपुर से चेन्नई तक का टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी।
9.	वाईटीएसके के कर्मचारियों का सत्यापन: 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39 की मद सं 9.xix में उल्लेख है कि वाईटीएसके अपने कर्मचारियों को पुलिस सत्यापन के बाद ही नियुक्त कर सकता है, किन्तु 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 35 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि सत्यापन आवश्यक नहीं है। यह भी उल्लेख है कि उनके कर्मचारियों का पूरा उत्तरदायित्व उनका है और भारतीय रेलवे का नहीं, तो फिर क्यों वाईटीएसके को इस प्रकार की परेशानी दी जा रही है।	वाईटीएसके के कर्मचारियों के पुलिस सत्यापन की शर्त को वापस लिया जाए। इसके बदले वाईटीएसके को अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने से पूर्व 'आधार' आधारित सत्यापन करना चाहिए।
10.	सक्षम अधिकारी जो वाईटीएसके के निर्दोष साबित होने पर दंड माफ करेगा।	क्षेत्रीय रेलें, वाईटीएसके पर लगे किसी दंड के खिलाफ की गयी अपील की जांच करने के लिए किसी प्रशासनिक अधिकारी को नामित करें। ऐसा अपील प्राधिकारी उस प्राधिकारी, जिसने उन्हें लाइसेंस दिया है या जिसने दंड लगाया है, से उच्च पद पर होना चाहिए।
11.	2015 के सीसी सं. 18 के अनुसार विकलांग टिकटें जारी करने की अनुमति।	वाईटीएसके को ऐसे विकलांग व्यक्तियों की टिकटें बुक करने की अनुमति दी जाए जिनका ब्यौरा सिस्टम में उपलब्ध हो। बहरहाल, उन्हें उन शारीरिक रूप से विकलांग रियायती प्रमाण-पत्रों पर टिकटें बुक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसका ब्यौरा सिस्टम में उपलब्ध न हो।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(शैली श्रीवास्तव)
निदेशक यातायात वाणिज्य (जी)
रेलवे बोर्ड

सं. 2014/टीजी-I/23/पीआरएस टर्मिनल — दिनांक: 17.07.2017

प्रतिलिपि प्रेषित:

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें
निदेशक (लेखापरीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें

कृते, वित्त आयुक्त, रेलवे

प्रतिलिपि प्रेषित:

1) सीसीएम/पीएम तथा सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2) का नि सतर्कता(टी), का नि एफ (सी), निदेशक सतर्कता टी, निदेशक एफ (सी), पीपीएस/एफसी, वि का अधिकारी/टी सी, एफ (सी) तथा सतर्कता (एस एस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
3) जीजीएम/आईटी/आईआरसीटीसी, बी 148, 11 वां तल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
4) प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली ।
5) महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्य रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/ मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
7) निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-2260011
8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली ।
9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13) सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71।
14) प्रबंध निदेशक, कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड, बेलापुर भवन, प्लॉट नं.6, सैक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400614।

******